पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2012 की आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 892

थाना कांड संख्या-102 से उत्पन्न, वर्ष-2010, थाना- बाउन्सी, जिला-बांका

==========

मंटू यादव, पुत्र कमल यादव, निवासी गाँव-आमगाची, काली टोला, थाना-बौन्सी, जिला-भागलपुर

.... अपीलार्थी

बनाम

बिहार राज्य

.... उत्तरदाता

==========

उपस्थितिः

अपीलार्थी के लिए : श्री शिवेंद्र कुमार सिन्हा, अधिवक्ता
श्री रंजीत पटेल, अधिवक्ता
श्री दीक्षित विनोद, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री अभिमन्यु शर्मा, एपीपी

==========

भारतीय दंड संहिता---धारा 376---एससी एवं एसटी अधिनियम---धारा 3(1)(x)---बलात्कार के आरोप में दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील---निष्कर्ष: अभियोजन पक्ष के सात गवाहों में से छह गवाह गैर-सरकारी गवाह हैं, जिनमें से केवल सूचक/पीड़ित (P.W.-5) ही प्रत्यक्षदर्शी है तथा अन्य सभी गैर-सरकारी गवाह केवल सुनी-सुनाई बातों पर आधारित गवाह हैं---कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि सुनी-सुनाई बातों पर आधारित साक्ष्य का कोई साक्ष्यात्मक मूल्य नहीं होता---मामले के जांच अधिकारी से पूछताछ नहीं की गई है, न ही सूचक/पीड़ित की चिकित्सकीय कानूनी जांच रिपोर्ट रिकॉर्ड में है, इसलिए अपीलकर्ता के झूठे आरोप की संभावना से इंकार करना कठिन है---चिकित्सकीय जांच के अनुसार सूचक के योनि स्वैब में कोई शुक्राणु नहीं पाया गया---अभियोजन पक्ष बचाव पक्ष के इस साक्ष्य को चुनौती देने में विफल रहा कि सूचक की बलात्कार संबंधी शिकायत पर पंचायती बुलाई गई थी, जिसमें पंचायती ने पाया था कि बलात्कार की झूठी शिकायत की गई है----सूचक द्वारा सूचक के परिवार और अपीलकर्ता के परिवार के बीच भूमि विवाद के कारण दायर की गई --- जब तक कि अभियुक्त का अपराध कानूनी साक्ष्य और रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर उचित संदेह से परे साबित नहीं हो जाता है, उसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है --- अभियोजन पक्ष के मामले में उचित संदेह हैं और अपीलकर्ता संदेह का लाभ पाने का

हकदार है --- दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और सजा का आदेश अलग रखा गया --- अपील स्वीकार की गई। ***(पैरा- 28-32)***

*(2003) 4 एससीसी 731, (2007) 13 एससीसी 511 .....**संदर्भित।***

(2012) 7 एससीसी 171, (1991) 1 एससीसी 253 .....पर भरोसा किया गया।

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार

सीएवी जजमेंट

(प्रतिः माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार)

तारीखः 30-10-2024

वर्तमान अपील, बौंसी थाना मामला संख्या 102/2010 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 49/2011/परीक्षण संख्या 5/2011 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 31.07.2012 और 07.08.2012 के दोषसिद्धि और सजा के फैसले के खिलाफ प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत एकमात्र अपीलकर्ता को एससी एवं एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(x) के तहत आरोप से बरी कर दिया गया है, लेकिन आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया गया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

<u>अभियोजन का मामला</u>

2. दिनांक 13.06.2010 को 14:15 बजे बौंसी थाना में एस.आई. चंदेश्वरी प्रसाद यादव, एस.एच.ओ. द्वारा दर्ज पीड़िता/सूचनाकर्ता के *फर्दबयान* से अभियोजन का मामला यह उभर कर सामने आया है कि एक दिन पूर्व यानि दिनांक 12.06.2010 को लगभग 11:00 बजे पीड़िता/सूचनाकर्ता अपने गांव से लगभग आधा किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित एक तालाब पर अपनी गाय को लेकर गई थी, जहां सह-ग्रामीण मंटू यादव, जो इस

मामले में अपीलकर्ता है, पहले से ही अपनी गाय को पानी पिलाने के लिए तालाब पर लाया हुआ था। पीड़िता को अकेला देखकर, अपीलकर्ता उसके पास आया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जिसका पीड़िता ने विरोध किया। लेकिन उसके बाद, अपीलकर्ता ने उसे जबरदस्ती जमीन पर गिरा दिया और उसका मुंह दबाकर उसका मुंह बंद कर दिया तथा उसका *पेटीकोट* उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब भी वह आवाज उठाने की कोशिश करती तो वह उसका मुंह दबा देता और मारपीट करता। उसने करीब आधे घंटे तक उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद, उसे धमकी दी कि वह घटना किसी को न बताए, अन्यथा उसे जान से मारने की धमकी दी। डर के कारण, वह कुछ नहीं बोल पाई। घटना के बाद, वह धीरे-धीरे चलकर आरोपी के परिजनों के पास गई और उनसे शिकायत की, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। उसका पति घर पर नहीं था, इसलिए वह कल थाने नहीं जा सकी।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

3. *फर्दबयान* के आधार पर बौंसी थाना कांड संख्या 102/2010 दिनांक 13.06.2010 को अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया।

4. जांच के बाद, अपीलकर्ता/मंटू यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और एससी एवं एसटी अधिनियम की धारा 3(i)(x) के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र संख्या 177/2010 दिनांक 31.12.2010 को प्रस्तुत किया गया। इसके बाद, विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बांका ने अपराध का संज्ञान लिया और मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया और अपीलकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और एससी एवं एसटी अधिनियम की धारा 3(i)(x) के तहत आरोप तय किए गए। आरोप अभियुक्त/अपीलकर्ता को पढ़कर सुनाए गए, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमा चलाए जाने की मांग की।

5. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित सात गवाहों से पूछताछ की गईः

(i) **अभि.सा. 1:-** मलिक किस्कु (सूचना देने वाले का भाई)

(ii) **अभि.सा. 2:-** शांति मुर्मू (सूचना देने वाले का सह-ग्रामीण)

(iii) **अभि.सा. 3:-** श्यामलाल बेसरा सूचना देने वाला (के ससुर))

(iv) **अभि.सा. 4:-** कान्हू बेसरा (मुखबिर के पति)

(v) **अभि.सा. 5:-** पीड़ित/सूचना देने वाला

(vi) **अभि.सा. 6:-** बालदेव बेसरा (सूचना देने वाले का बहनोई)

(vii) **अभि.सा. 7:-** डॉ. कुमकुम आजाद (जिन्होंने सूचना देने वाले की योनि के स्वैब की सूक्ष्म जांच की)

6. अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी दर्ज किएः

(i) **प्रदर्श 1**:- नैदानिक रोगविज्ञान रिपोर्ट

<u>धारा 313 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत वक्तव्य</u>

7. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बंद करने के बाद, अभियुक्त/अपीलार्थी से धारा 313 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत पूछताछ की गई, जिसमें उसे अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में आने वाली आपत्तिजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, ताकि उसे उन परिस्थितियों को समझाने का अवसर मिल सके। इस जाँच के दौरान, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने खिलाफ अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य सुने थे। लेकिन उन्होंने किसी भी परिस्थिति की व्याख्या नहीं की, हालांकि उन्होंने दावा किया कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य झूठे हैं और वह निर्दोष हैं।

<u>मुकदमे में बचाव पक्ष के गवाह</u>

8. अपीलार्थी ने अपने बचाव में निम्नलिखित तीन गवाहों से पूछताछ की थीः

(i) **प्रति. सा. 1**- त्रिवेणी मंडल (अपीलार्थी का सह-ग्रामीण)

(ii) **प्रति. सा. 2**- कमलाकांत मंडल (अपीलार्थी का सह-ग्रामीण)

(iii) **प्रति. सा. 3**- दिनेश यादव (अपीलार्थी का सह-ग्रामीण)

9. बचाव पक्ष ने निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी दर्ज किएः

(i) **प्रदर्श एः-** पंचायती कागज पर त्रिवेणी मंडल के हस्ताक्षर

(ii) **प्रदर्श ए/1:-** सोना मुनि मरांडी, मुखिया, गाँव- सरूवा बाउन्सी पंचायती कागज पर

(iii) **प्रदर्श ए/2:-** पंचायती कागज पर अनिल कुमार, पंचायत सदस्य, पंचायत-सरवा बाउन्सी के हस्ताक्षर।

(iv) **प्रदर्श ए/3:-** पंचायती पेपर पर दिनेश यादव के हस्ताक्षर

(v) **प्रदर्श बीः-** मूल बिक्री विलेख दिनांक 08.03.1933

(vi) **प्रदर्श सीः-** निपटान अधिकारी के आदेश की सी.सी.

(vii) **प्रदर्श डीः-** आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण संख्या 44 के आदेश की सी.सी. 70-71

<u>विचारण न्यायालय का निष्कर्ष</u>

10. विद्वत विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना करने और पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, एससी और एसटी अधिनियम की धारा 3(i)(x) के तहत अपीलार्थी को बरी करते हुए विवादित निर्णय पारित किया, जिसमें कहा गया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि एससी और एसटी अधिनियम के तहत कथित अपराध जनता के सामने किया गया है। हालाँकि, विवादित निर्णय द्वारा, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया गया है, जिसमें पाया गया है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के खिलाफ सभी उचित संदेहों से परे भा.दं.सं. की धारा 376 के तहत अपना मामला साबित कर दिया है।

11. हमने अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील और राज्य के लिए विद्वान एपीपी को सुना है।

दलों का प्रस्तुतिकरण

12. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का विवादित निर्णय और सजा का आदेश कानून की नजर में या तथ्यों के आधार पर टिकने योग्य नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन नहीं किया और गलत तरीके से अपीलकर्ता को धारा 376 भा.दं.सं. के तहत दोषी ठहराया।

13. अपनी दलीलों को साबित करने के लिए, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि गैर-आधिकारिक गवाहों में, केवल सूचना देने वाले को चश्मदीद गवाह के रूप में पेश किया गया है और बाकी केवल सुनी-सुनाई गवाही हैं। इसके अलावा, सूचना देने वाले/कथित पीड़ित की चिकित्सकीय कानूनी जांच की रिपोर्ट को अभियोजन पक्ष द्वारा रोक दिया गया है। उसी को रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है। अ.सा.-7/डॉ0 कुमकुम आजाद ने केवल सूचना देने वाले की योनि के फाहे की जांच की है और इस जांच के अनुसार, योनि के फाहे में कोई शुक्राणु नहीं पाया गया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि विद्वत विचारण न्यायालय अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना करने में विफल रहा है कि अपीलार्थी के परिवार और सूचना देने वाले के बीच भूमि विवाद था और इस तरह के विवाद के कारण अपीलार्थी के गलत निहितार्थ की पूरी संभावना है। विद्वान विचारण न्यायालय विचारण के दौरान अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की सराहना करने में भी विफल रहा है कि स्थानीय पंचायत में सूचना देने वाले द्वारा लगाया गया आरोप गलत पाया गया था। पंचायत के निष्कर्ष के अनुसार, मुखबिर के आरोप में कोई सच्चाई नहीं है और आरोप केवल पुरानी भूमि विवाद और गंदी राजनीति के कारण लगाया गया था। पंचायतनामा के अनुसार, मुखिया ने कहा है कि उन्होंने स्वयं आरोप की जांच की थी और सह-ग्रामीणों से पूछताछ करने के बाद, उन्होंने पाया था कि आरोप में कोई सच्चाई नहीं है और आरोप केवल भूमि विवाद और गंदी गाँव की राजनीति के कारण लगाए गए हैं। पंचायतनामा पर आदिवासी लोगों सहित लगभग 29 ग्रामीणों ने हस्ताक्षर किए हैं।

14. उन्होंने यह भी कहा है कि प्राथमिकी दर्ज करने में एक दिन की देरी हुई है जिससे पता चलता है कि अभियोजन पक्ष का मामला भूमि विवाद के कारण विचार-विमर्श और मनगढ़ंत के बाद दर्ज किया गया था।

15. उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, अभियोजन मामले में गंभीर संदेह है और अपीलार्थी ऐसे संदेहों का लाभ प्राप्त करने का हकदार है।

16. अभियोजन पक्ष की ओर से मामले के जांच अधिकारी से भी पूछताछ नहीं की गई है, जिससे अपीलार्थी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। घटना का स्थान भी सिद्ध नहीं हुआ है।

17. *इसके विपरीत*, राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि दोषसिद्धि और सजा के आदेश के विवादित निर्णय में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है। अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के खिलाफ अपना मामला सभी उचित संदेहों से परे साबित कर दिया है।

<u>अभियोजन साक्ष्य</u>

18. सूचना देने वाले/पीड़ित की जाँच **अ.सा.-5** के रूप में की गई है। उन्होंने अपने *फरदबेयान* के अनुरूप अपने **मुख्य परीक्षण** में गवाही देते हुए अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। उसने यह भी बयान दिया है कि पुलिस ने उसे इलाज के लिए बांका अस्पताल भेजा था और जहां से उसे भागलपुर भेज दिया गया था। अपनी **जिरह** में, उसने अपदस्थ किया है कि घटना के दिन, उसे मासिक धर्म हो रहा था और उसने अपने कपड़े सौंप दिए जो उसने मासिक धर्म के समय पहने थे। वह अपीलार्थी से प्यार नहीं करती है। वह शादीशुदा है। अपीलार्थी के परिवार के साथ उसका कोई विवाद नहीं है। घटना के दिन सह-ग्रामीणों की कई गायें जंगल में थीं। उसकी जाँच बांका में की गई और वह बांका से भागलपुर गई थी। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। उसे समझ नहीं आता कि बलात्कार क्या है। उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि उसने अपीलार्थी और उसके परिवार को

परेशान करने के लिए यह झूठा मामला दर्ज किया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने पाया है कि गवाह अनपढ़ और देहाती है और आदिवासी समुदाय से है। उसने बार-बार बयान दिया है कि अपीलार्थी ने उसका *पेटीकोट* उठाकर उसके साथ बलात्कार किया था। विद्वान विचारण न्यायालय ने फिर से पाया है कि वह इशारे से उस पर किए गए बलात्कार की व्याख्या करती है।

19. अ.सा.-1 मलिक किस्कु है। वे सूचना देने वाले के भाई हैं और वह एक सुनी सुनाई गवाह है। उसने अपदस्थ कर दिया है जैसा कि उसकी बहन ने उसे बताया था। उन्होंने सुनी सुनाई बातों के आधार पर अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है।

20. अ.सा.-2 शांति मुर्मू है। वह एक सह-ग्रामीण हैं। वह भी एक सुनी सुनाई गवाह हैं। अपने **मुख्य परीक्षण** में, उसने भी यह बयान दिया है कि अपीलार्थी बहुत बुरा आदमी है। उसका सूचना देने वाले/पीड़ित के साथ कोई रक्त संबंध नहीं है।

21. अ.सा.-3 श्यामलाल बेसरा है। वह सूचना देने वाले/पीड़ित का सह-ग्रामीण भी है और रिश्ते में वह सूचना देने वाले का ससुर है। वह भी एक सुनी सुनाई गवाह है। जैसा कि मुखबिर ने उसे बताया है, उसने बयान दिया है।

22. अ.सा.-4 कान्हू बेसरा है। वह मुखबिर का पति है और एक सुनी-सुनाई गवाह भी है। जैसा कि उसकी पत्नी/मुखबिर ने कहा है, उसने बयान दिया है।

23. अ.सा.-6 बालदेव बेसरा है। वह सूचना देने वाले का बहनोई है। वह एक सुनी सुनाई गवाह भी है।

24. अ.सा.-7 डॉ. कुमकुम आज़ाद हैं। उन्होंने संचालन किया था कि सूचना देने वाले की योनि के फाहे की सूक्ष्म जांच की है। इस जाँच के अनुसार, उसे स्वाब में कोई शुक्राणु नहीं मिला। हालाँकि, उसने सूचना देने वाले/पीड़ित की कोई चिकित्सकीय कानूनी जाँच नहीं की है।

रक्षा साक्ष्य

25. प्र.सा.-1 त्रिवेणी मंडल है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि सूचना देने वाले के साथ बलात्कार किया गया था या नहीं। उन्होंने अपने **मुख्य परीक्षण** को बयान दिया है कि मुखबिर की शिकायत पर एक पंचायत आयोजित की गई थी। पंचायत द्वारा एक दस्तावेज तैयार किया गया था जिस पर उन्होंने अपने हस्ताक्षर भी किए थे।

26. प्र.सा.-2 कमलाकांत मंडल है। उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि उनके परिवार का सूचनाकर्ता के नाना-नानी के साथ भूमि विवाद था। उस विवाद के संबंध में, यहां तक कि बांका अदालत में मुकदमेबाजी भी हुई थी और अदालत में, सूचना देने वाले के ससुर का मामला हार गया था। सूचक की शिकायत पर बलात्कार के संबंध में पंचायती की गई । लेकिन पंचायत ने आरोप को झूठा पाया।

27. प्र.सा.-3 दिनेश यादव है। अपनी मुख्य परीक्षण में, उसने बयान दिया है कि बलात्कार के संबंध में शिकायतकर्ता की शिकायत पर एक पंचायती हुई थी और वह पंचों में से एक था और उसने पंचनामा पर अपने हस्ताक्षर किए हैं और पंचों को पता चला है कि शिकायतकर्ता द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ भूमि विवाद के कारण झूठा मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने यह भी बयान दिया है कि अपीलार्थी एक पारिवारिक व्यक्ति है।

इस न्यायालय के साक्ष्यों और निष्कर्षों की सराहना

28. अभिलेख पर साक्ष्य से हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष के सात गवाहों में से छह गवाह गैर-आधिकारिक गवाह हैं। अ.सा.-5 स्वयं सूचना देने वाला है। अ.सा.-4 सूचना देने वाले का पति है। अभियोजन साक्ष्यगण 1, 3 और 6 भी सूचना देने वाले के परिवार के सदस्य हैं क्योंकि अ.सा.-1 सूचना देने वाले का भाई है, अ.सा.-3 सूचना देने वाले का ससुर है और अ.सा.-6 सूचना देने वाले का बहनोई है और अ.सा.-2 सूचना देने वाले का सह-ग्रामीण है। केवल आधिकारिक गवाह अ.सा.-7 डॉ. कुमकुम आजाद हैं, जिन्होंने सूचना देने वाले की योनि के फाहे की सूक्ष्म जांच की थी। हम आगे पाते हैं कि मामले के जांच

अधिकारी से पूछताछ नहीं की गई है, न ही सूचना देने वाले/पीड़ित की चिकित्सकीय कानूनी जांच की रिपोर्ट रिकॉर्ड में है।

29. हम आगे पाते हैं कि केवल सूचना देने वाला/पीड़ित (अ.सा.-5) चश्मदीद गवाह है और अन्य सभी गैर-सरकारी गवाह केवल सुनी-सुनाई गवाही देते हैं और यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि सुनी-सुनाई गवाही का कोई प्रमाणिक मूल्य नहीं है। इस संबंध में निम्नलिखित न्यायिक उदाहरणों का उल्लेख किया जा सकता हैः-

(i) **नीरज दत्ता बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)**

(2003) 4 एस. सी. सी. 731

(ii) **राजेंद्र प्रभु चिकने और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य** (2007) 13 एस. सी. सी. 511

30. हम आगे पाते हैं कि सूचना देने वाला/पीड़ित (अ.सा.-5) कथित घटना का एकमात्र चश्मदीद गवाह है और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। लेकिन हम पाते हैं कि सूचना देने वाले की कोई चिकित्सकीय कानूनी जांच की रिपोर्ट रिकॉर्ड में नहीं है। इस तरह की रिपोर्ट के अभाव में, अपीलार्थी के गलत निहितार्थ से इंकार करना मुश्किल है। इतना ही नहीं, जब सूचना देने वाला की बांका और भागलपुर अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा जांच की गई, तो मेडिको लीगल जांच की रिपोर्ट को रोके रखना अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल धारणा बनाता है। मामले के जांच अधिकारी से भी पूछताछ नहीं की गई। इसके अलावा, अ.सा.-7/ डॉ. कुमकुम आजाद के अनुसार, सूचना देने वाला के योनि स्वाब में कोई शुक्राणु नहीं पाया गया।

31. हम बचाव पक्ष के गवाहों के अनुसार आगे पाते हैं कि बलात्कार के संबंध में मुखबिर की शिकायत पर पंचायती को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन मुखिया और अन्य पंचों वाली पंचायत के अनुसार, बलात्कार के संबंध में मुखबिर का आरोप झूठा पाया गया और पंचायती ने यह भी पाया कि मुखबिर के परिवार और अपीलकर्ता के बीच भूमि

विवाद के कारण मुखबिर द्वारा झूठी शिकायत दर्ज की गई है। बचाव पक्ष के गवाहों के ऐसे साक्ष्य पर अभियोजन पक्ष द्वारा उनकी जिरह में आपति नहीं किया गया है। यहां तक कि पंचायत न होने या पंचायत के निष्कर्ष के गलत होने का सुझाव भी नहीं दिया गया था।

32. इसलिए, हम पाते हैं कि अपीलार्थी के खिलाफ अभियोजन पक्ष का मामला में उचित संदेह पैदा किया गया है और अभियोजन पक्ष के ऐसे साक्ष्य पर, इस न्यायालय के लिए अपीलार्थी के खिलाफ पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश के विवादित फैसले को बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। अपीलार्थी संदेह का लाभ प्राप्त करने का हकदार है।

33. नरेंद्र कुमार बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली), (2012) 7 एस. सी. सी. 171 मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अभियुक्त के खिलाफ संदेह कितना भी बड़ा हो और न्यायालय का नैतिक विश्वास और दोषसिद्धि कितनी भी मजबूत हो, जब तक कि अभियुक्त का अपराध कानूनी साक्ष्य और रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर उचित संदेह से परे स्थापित नहीं हो जाता है, उसे किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। आरोपी की निर्दोषता की प्रारंभिक धारणा है और अभियोजन पक्ष को विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपराध साबित करना होता है। अभियुक्त प्रत्येक उचित संदेह के लाभ का हकदार है।

34. दिलावर हुसैन बनाम गुजरात राज्य, (1991) 1 एस. सी. सी. 253, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय में भावनाओं या संवेदनओं के लिए कोई स्थान नहीं है। दोषमुक्ति या दोषसिद्धि आपराधिक श्रृंखला के प्रमाण या अन्यथा पर निर्भर करती है जिसमें हमेशा क्यों, कहाँ, कब, कैसे और कौन शामिल होता है। दोष सिद्ध करने के लिए जंजीर की हर गांठ को संदेह की छाया से परे साबित करना होगा। इसमें कोई भी दरार या ढीलापन अभियोजन पक्ष को कमजोर करता है।

हर कड़ी इतनी सुसंगत होनी चाहिए कि एकमात्र निष्कर्ष जो निकलता है वह यह है कि अभियुक्त दोषी है।

35. तदनुसार, दोषसिद्धि और सजा के आदेश के विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है। अपीलार्थी अपने खिलाफ लगाए गए आरोप से बरी हो जाता है।

36. अपील की अनुमति है।

37. चूंकि अपीलार्थी जेल में है, इसलिए निर्देश दिया जाता है कि यदि उसकी किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए।

38. इस निर्णय की एक प्रति तत्काल संबंधित जेल अधीक्षक को अनुपालन एवं अभिलेख हेतु भेजी जाए।

39. मुकदमे का रिकॉर्ड तुरंत विचारण न्यायालय को वापस कर दिया जाए।

40. मध्यस्थ आवेदन/ओं, यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया गया है।

(जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

मैं सहमत हूँ।

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

चंदन/शोएब

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।